

>15.47 ½ hrs.

(xxxii) Representation of the People (Amendment) Bill, * 2004

(Substitution of new Section for Section 8, etc.)

Title: Introduction of the Representation of the People (Amendment) Bill, 2004. (Substitution of new Section for Section 8, etc.)

श्री सुरेश चन्देल (हमीरपुर, हि.प्र.) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Representation of the People Act, 1951."

श्री सुरेश चन्देल : सभापति महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।
